2010:सीजीएचसी:11347-DB **प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

खंडपीठ: माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, एवं
माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक : 222/2003

अपीलार्थी : शंकर और अन्य
(जेल में)

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

और संबंधित दांडिक अपील क्रमांक 257/03 और280/03

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निर्णय विचारण हेतु</u>

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर , न्यायाधीश
मैं सहमत

सही/-
आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक 10 सितंबर,2010 को सूचीबद्ध।

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

खंडपीठ: माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, एवं

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक : 222/2003

अपीलार्थी : 1. शंकर पिता बुद्धू सतनामी, परन्तु निर्णय में गलती से नाम बुदु

(जेल में) सतनामी दर्ज है, आयु लगभग 60 वर्ष।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. लक्ष्मी आत्मज शंकर सतनामी, आयु लगभग 25 वर्ष।

3. चंद्रिका आत्मज शंकर सतनामी, आयु लगभग 21 वर्ष।

4. कृपाराम आत्मज शंकर सतनामी, आयु लगभग 27 वर्ष।

सभी निवासी ग्राम साल्खन, पुलिस थाना शिवरीनारायण,

जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) ।

बनाम

प्रत्यर्थी: **छत्तीसगढ़ राज्य**,

पुलिस थाना शिवरीनारायण के माध्यम से, जिला

जांजगीर-चांपा (छ.ग.)।

दांडिक अपील क्रमांक 257/2003

अपीलार्थी : संतोष आत्मज पिता कीर्तन कश्यप, आयु लगभग 25 वर्ष,

(जेल में) निवासी ग्राम साल्खन, पुलिस थाना शिवरीनारायण, जिला

जांजगीर-चांपा (छ.ग.)।

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी: **छत्तीसगढ़ राज्य**,

भारसाधक अधिकारी द्वारा पुलिस थाना शिवरीनारायण,

जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)।

एवं

दांडिक अपील क्रमांक 280/2003

अपीलार्थी : 1. जानकी, पिता दाताराम कश्यप, आयु लगभग 60 वर्ष।

(जेल में) 2. मनहरण, पिता जानकी कश्यप, आयु लगभग 40वर्ष।

3. फिरत, पिता जानकी कश्यप, आयु लगभग 29 वर्ष।

4. मोहन, पिता जानकी कश्यप, आयु लगभग 25 वर्ष।

सभी निवासी ग्राम साल्खन, पुलिस थाना

शिवरीनारायण, जिला - जांजगीर-चांपा (छ.ग.) ।

बनाम

प्रत्यर्थी: **छत्तीसगढ़ राज्य**,

द्वारा थाना प्रभारी से, शिवरीनारायण,

जिला - जांजगीर-चांपा (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्रीमती किरण जैन, दां.अ.क्र. 222/03 में अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता।

श्री अशोक स्वर्णकार, दां.अ.क्र. 257/03 में अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री विष्णु कोष्ठा, दां.अ.क्र. 280/03 में अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता।

श्री आशीष शुक्ला, राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>

(दिनांक 10 सितंबर, 2010 को परिदत्त)

<u>धीरेंद्र मिश्रा, न्यायधीश,द्वारा</u>

उपरोक्त दांडिक अपीलें समान रूप से इस सामान्य निर्णय से निस्तारित की जा रही हैं, जो दिनांक 17 जनवरी, 2003 को सत्र प्रकरण क्रमांक 129/01 में पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिसके द्वारा माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर, जिला बिलासपुर ने अपीलकर्ताओं को निम्नानुसार दोषसिद्ध किया और दंडादेश दिया:

क्रमांक	**दोषसिद्धि (अंतर्गत धारा)**	**दंडादेश**
01	धारा 302 सहपठित धारा 149, भा.दं.सं.	आजीवन कारावास और ₹100/- का अर्थदण्ड
02	धारा 148, भा.दं.सं.	1 वर्ष का कठोर कारावास
03	धारा 324 सहपठित धारा 149, भा.दं.सं.	2 वर्ष का सश्रम कारावास
04	धारा 324 सहपठित धारा 149, भा.दं.सं	2 वर्ष का सश्रम कारावास
05	धारा 326 सहपठित धारा 149, भा.दं.सं.	3 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹100/- का अर्थदण्ड

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

06	धारा 326 सहपठित धारा 149, भा.दं.सं.	3 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹100/- का अर्थदण्ड
07	धारा 324 सहपठित धारा 149, भा.दं.सं.	2 वर्ष का सश्रम कारावास
08	धारा 323 सहपठित धारा 149, भा.दं.सं	3 माह का सश्रम कारावास

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सभी दंडादेश समवर्ती रूप से चलेंगे। यह निर्देश दिया गया है कि अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में कोई अतिरिक्त जेल दंडादेश अधिरोपित नहीं किया जाएगा और अर्थदण्ड की राशि अन्य साधनों से वसूल की जाएगी।

चूँकि दांडिक अपील संख्या 222/03 में अपीलकर्ता शंकर लाल सतनामी, पिता श्री बुधधू लाल सतनामी, का निधन दिनांक 18.2.2010 को हो गया है और उनके विधिक प्रतिनिधियों ने उनकी ओर से इस अपील को अभियोजन के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, अतः अपीलकर्ता शंकर लाल सतनामी के संबंध में उपरोक्त अपील उपशमित मानी जाती है।

02. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि दिनांक 25 जनवरी, 2001 को लगभग 8 बजे प्रातः, जब परिवादी सरस्वतीबाई अपने खेत में गोबर के कंडे डाल रही थी, तब परिवादी संतोष ट्रैक्टर में लाया गया गोबर उतार रहा था और आपत्ति करने पर, सभी अभियुक्त व्यक्ति लाठी और कुल्हाड़ी से लैस होकर आए तथा उन्होंने समुन्दरम, बेदबाई, तुलाराम, रामधार, भागवत, हेमिनबाई और सरस्वतीबाई पर हमला किया और उन्हें चोटें पहुँचाईं। समुन्दरम की मौत रास्ते में हो गई जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। सरस्वतीबाई द्वारा प्रातः 10 बजे अभियुक्तों के विरुद्ध घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

03. विस्तृत अन्वेषण के बाद, चार्ज शीट प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, जांजगीर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसने बदले में, मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय को सुपुर्द कर दिया, और उसी न्यायालय से सुनवाई के लिए विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को स्थानांतरण पर प्राप्त किया गया।

04. विद्वान विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 302/ 149, 307/ 149 के तहत और वैकल्पिक रूप से 302/ 149 के तहत चार अपराधों के लिए आरोप विरचित किए, जो बेदबाल, तुलाराम, रामधार, भगवत, हेमिनबाई और 323/ 149 के जीवन पर किए गए थे, और वैकल्पिक रूप से सरस्वतीबाई को साधारण चोट पहुँचाने के लिए 323/ 149 के तहत आरोप विरचित किए गए। अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

05. अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने की कार्यवाही में, अभियोजन पक्ष के 16 गवाहों का परीक्षण किया गया। इसके बाद, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले में सामने आए परिस्थितियों से इनकार किया और अभिवाक किया कि घटना की सुबह, समुंद्रम, रामधार, भगवत, तुलाराम, सरस्वतीबाई, बेदबाल, हेमिनबाई और रवि फावड़े से संतोष के खेत की सीमा मिट्टी की दीवार को तोड़ रहे थे। वे सभी लाठी और कुल्हाड़ी से लैस थे। उस समय, संतोष, फिराट और मोहन ट्रैक्टर से अपनी मिट्टी की दीवार को ध्वस्त होने से

रोकने के लिए लाए, जिस पर समुंद्रम ने हमला किया और उन पर हमला करने के लिए उकसाया, जिस पर समुंद्रम और रामधार ने फिराट पर हमला किया; भगवत ने कृपाराम पर हमला किया; तुलाराम और समुंद्रम ने मोहन पर हमला किया; और समुंद्रम ने लक्ष्मी पर भी हमला किया। जब चन्द्रिका, लक्ष्मी, कृपाराम – जो शंकर के बेटे हैं – ने उन्हें हमला करने से रोका, तो संतोष, फिराट और मोहन में से सभी ने चन्द्रिका, कृपाराम और फिराट पर हमला करना शुरू कर दिया, जिस पर उन्होंने अपनी लाठियाँ छीन लीं और अपना बचाव किया। परिणामस्वरूप, समुंद्रम और अन्य को चोटें आईं। उन्होंने अपने बचाव में, डॉ. एच.एस. चंदेल, मेडिको लीगल ऑफिसर, बी.डी.एम. अस्पताल, चाम्पा और श्री एम.आर. भोंसले, जेलर, जिला जेल, जांजगीर की भी परीक्षण किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

06. विद्वान विचारण न्यायालय ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनीं, अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराया और कंडिका-1 की सजा के अनुसार सजा सुनाई।

07. विद्वान विचारण न्यायालय ने डॉ. आर.एस. प्रभाकर (अ.सा.-12) के साक्ष्य के आधार पर, जिसने 25.1.2001 को घायल समुंद्रम का परीक्षण किया था और अपनी मेडिकल विधिक परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी/26 दी थी, और आगे डॉ. एच.एस. चंदेल (अ.सा.-11) के साक्ष्य के आधार पर, जिसने समुंद्रम के शव का पोस्टमार्टम किया था और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी/24 दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि समुंद्रम की मृत्यु मानववध के प्रकृति थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

08. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने मृतक समुंद्रम के मानववध से इनकार नहीं किया है। यहाँ तक कि जब वह जीवित था, डॉ. प्रभाकर ने उसकी जाँच की और उसके दाहिने पार्श्विका क्षेत्र पर तीन चीरे लगे घाव पाए, जैसा कि आक्षेपित निर्णय के कंडिका-10 में वर्णित है। डॉ. एच.एस. चंदेल ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया और उसके दाहिने मैक्सिलरी क्षेत्र पर सिला हुआ घाव, दाहिनी निचली जबड़े की हड्डी का फ्रैक्चर, नासिका अस्थि (नुज्जल बोन) और दाहिने ललाट और पार्श्विका अस्थि का दबा हुआ फ्रैक्चर पाया। उसने दाहिने ललाट और पार्श्विका क्षेत्र पर जमा हुआ रक्त, इस क्षेत्र के बाह्य ड्यूरल और

अव-ड्यूरल हेमेटोमा और मस्तिष्क सामग्री पर भी भ्रम की स्थिति पाई है। उसने यह राय व्यक्त की है कि मृतक की मृत्यु 24 घंटे से कम समय के भीतर सिर में लगी चोट के कारण हुई है और मृत्यु प्रकृति में मानववध है। इस प्रकार, उपरोक्त चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर, समुंद्रम की मृत्यु को मानववध के प्रकृति मृत्यु स्थापित किया गया है।

09. अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि घायल गवाहों – सरस्वती बाई, परिवादी (अ.सा.-1), रामधार (अ.सा.-2), बेदबाई (अ.सा.-3), हेमिनबाई (अ.सा.-4), भागवत (अ.सा.-7), तुलाराम (अ.सा.-8) और अन्य चक्षुदर्शी साक्षियों, विशेष रूप से रेशमलाल (अ.सा.-5) और गणेशराम (अ.सा.-6) के साक्ष्य पर आधारित है, जिन्होंने घटना को देखा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. विचारण न्यायालय ने, उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य का अवलंब लेते हुए, जिसकी पुष्टि तुरंत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रदर्श पी./1 और डॉ. प्रभाकर के साक्ष्य से भी होती है, जिसने बेदबाई के चोट संबंधी रिपोर्टों (प्रदर्श पी./27), तुलाराम (प्रदर्श पी./28), रामधार (प्रदर्श पी./29), सरस्वतीबाई (प्रदर्श पी./30), भागवत (प्रदर्श पी./31), और

हेमिनबाई (प्रदर्श पी./32) की रिपोर्टों को सिद्ध किया है और यह बयान दिया है कि उपरोक्त गवाहों को लगी चोटें, जैसा कि उनकी चोट रिपोर्टों में वर्णित है, कुंद के साथ-साथ धारदार हथियार से भी संभव थीं और ये चोटें उनकी जाँच के 12 घंटे के भीतर लगी थीं, यह माना कि समुंद्रम की हत्या करने और घायल गवाहों को सख्त तथा साथ ही धारदार वस्तु से चोटें पहुँचाने में अपीलकर्ताओं की संलिप्तता स्थापित है। हालाँकि, मृतक के शरीर पर मौजूद चोटों के संबंध में यह दर्शाने के लिए किसी भी साक्ष्य के अभाव में कि वे सामान्य प्रकृति में उनकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं, उन्हें दोषी ठहराया गया है और इस निर्णय के कंडिका-1 में उल्लिखित अनुसार दंडित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के उपर्युक्त निष्कर्ष को विवादित नहीं किया है, जो चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य पर आधारित है और जिसकी पुष्टि त्वरित रूप से दर्ज की गई एफआईआर से होती है, साथ ही डॉ. प्रभाकर, जिन्होंने मृत समूंद्रम के साथ ही आहत साक्षियों का परीक्षण किया है और उनके शरीर पर चोटें पाईं,

तथा डॉ. एच.एस. चंदेल, जिन्होंने पोस्टमॉर्टम किया और समुद्रम के शरीर पर संबंधित चोटें पाईं, के साक्ष्य से भी होती है।

12. हमने घायल चक्षुदर्शी साक्षियों के बयानों और अन्य चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य की भी सावधानीपूर्वक जाँच की है, जिन्होंने घटना को देखा और अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि की है। बचाव पक्ष अपने प्रति-परीक्षण में कुछ भी ऐसा नहीं निकलवा सका जो उनके बयान को अविश्वसनीय या अविश्वासयोग्य बनाता हो। इसके अलावा, अभियुक्त व्यक्तियों ने घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति को भी नहीं नकारा है। इसलिए, हम इस राय के हैं कि विचारण न्यायालय ने यह सही माना है कि अपीलकर्ताओं ने मृत समूंद्राम को घोर उपहति पहुंचाई, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई, और उन्होंने बेदबाई, तुलाराम, रामधार, भगवत, हेमिनबाई को भी चोटें पहुंचाईं तथा सरस्वतीबाई को साधारण उपहति पहुंचाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारण न्यायालय के समक्ष बचाव पक्ष का तर्क यह था कि मृतक समूंद्रम और घायल बेदबाई, तुलाराम, रामधार, भगवत, हेमिनबाई, सरस्वतीबाई और रवि घटना के सुबह के समय संतोष के बाड़ी के पूर्व

में मिट्टी की सीमा दीवार को तोड़ रहे थे। उस समय, वे फावड़े और कुल्हाड़ी से लैस थे। उसी समय, संतोष, फिरात और मोहन अपनी ट्रैक्टर में ढीली मिट्टी उतार रहे थे। हालांकि, इन परिस्थितियों में, उन्होंने उन्हें अपनी जमीन पर मिट्टी उतारने से रोक दिया, जिसके कारण झगड़ा हुआ, और इस घटना में कृपाराम, फिरात्रम, चंद्रिका प्रसाद और मोहनलाल को भी चोटें आईं। मोहनलाल को दाहिनी उलना अस्थि भंग भी हुआ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि पाँच अभियुक्त व्यक्तियों, नामतः कृपाराम, फिरात, चन्द्रिका प्रसाद, लक्ष्मी प्रसाद और मोहन, ने पारिवादी पक्ष द्वारा कारित चोटें सहनी पड़ीं और पुलिस ने उनके चिकित्सकीय परीक्षण के लिए क्रमशः डॉ. प्रभात (अ.सा-12) को संदर्भित किया, जिसका उल्लेख प्रदर्श डी/17 से डी/21 में है। डॉ. प्रभाकर (अ.सा-12) ने उनकी जाँच की और उनकी चोट रिपोर्टें क्रमशः प्रदर्श डी/9 से डी/13 तक प्रस्तुत कीं। तथापि, अभियोजन पक्ष ने आरोप पत्र में उपरोक्त तथ्य का छुपाया है। अभियुक्त गवाहों ने आहत के

शरीर पर उपस्थित चोटों की व्याख्या नहीं की है। मोहन को भी इस घटना में अलना अस्थि में अस्थि भंग की चोट आई यद्धपि पुलिस नें अभियुक्त व्यक्तियों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की और एक पक्षीय एवं पक्षपातपूर्ण जाँच के आधार पर उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। यह आगे तर्क दिया गया कि पुलिस ने वादी (विवादित भूमि) के स्वामित्व के संबंध में कोई उचित जाँच नहीं की और बादी मृतक की थी, इसे स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेज़ पेश नहीं किया गया है। इसके विपरीत अ.सा-14 पूरनलाल राठौर – हल्का पटवारी, जिन्होंने स्पॉट मैप (मौके का नक़्शा) प्रदर्श पी/35 तैयार किया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि विवादित भूमि का खसरा नंबर 3392/1 है, जिसका क्षेत्रफल 0.6 डेसीमल है और यह किरतान के नाम पर दर्ज है, जो मृतक संतोष का पिता है। उन्होंने किस्तबंदी खातौनी प्रदर्श पी/14 और उपरोक्त भूमि के नक्शे (प्रदर्श पी/16) को भी साबित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. यह आगे तर्क दिया गया कि घायल गवाह रामधार (अ.सा-2) ने अपने कंडिका-5 के बयान में यह स्वीकार किया है कि विवादित थ्रेशिंग फील्ड (खेत खलिहान) का खसरा नंबर 3392/1 है, जिसका क्षेत्रफल

0.6 डेसीमल है, जो पहले उसके पिता के नाम पर दर्ज था और बाद में, उसे पता चला कि किरतान ने राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करा लिया है और उसके पिता ने संतोष और किरतान के खिलाफ एक मामला दायर किया है और मामला विचाराधीन है। यद्यपि उसने स्वीकार किया कि घटना से 20-25 दिन पहले ही मामले का फैसला हो चुका था और उसने बलपूर्वक कब्ज़ा लेने के किसी भी प्रयास से भी इनकार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डायरी स्टेटमेंट प्रदर्श पी/7 के संदर्भ में, भागवत (अ.सा-7) ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने अपने डायरी कथन में कहा था कि वे मिट्टी की मेड़ तोड़ रहे थे और अपने ट्रैक्टर में वही भरी हुई मिट्टी उतार रहे थे, जब अभियुक्त व्यक्तियों ने उन्हें उनकी भूमि पर मिट्टी उतारते हुए पकड़ा। विद्वान अधिवक्ता ने अ.सा-8 तुलाराम – मृतक के पुत्र की गवाही के कंडिका-5 की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें उसने स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता संतोष कश्यप ने विवादित भूमि का दावा किया है और बाड़ी (विवादित भूमि) पर उगाही (खेती) की थी।

15. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान परामर्शदाता ने चुनौती दिए गए निर्णय का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने, आहट (घायल) साक्षियों के साक्ष्य और तत्काल दर्ज की गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन के आधार पर, यह स्पष्ट रूप से सही माना है कि सभी अभियुक्तगण एक साथ कुल्हाड़ी और लाठियों से शस्त्रों से सुसज्जित होकर खेत पर पहुँचे थे, और वे सभी एक विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे। इस जमाव का गठन फरियादी पक्ष को गंभीर चोट (घोर उपहति) पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया था, और अपने साझा लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने मृतक पर प्रहार किया, जिसके कारण चिकित्सालय में उसकी मृत्यु हो गई, और उन्होंने छह अन्य व्यक्तियों को भी चोटें पहुँचाईं। इन परिस्थितियों में, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को संपत्ति और शरीर की आत्मरक्षा के अधिकार का लाभ देने से सही इनकार कर दिया, क्योंकि वे आक्रमणकारी थे। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि अपीलार्थी मोहन के सिवाय, अभियुक्त व्यक्तियों को केवल सामान्य चोटें आईं, और ये चोटें उन्हें तब लगीं जब आहत व्यक्ति अपना बचाव कर रहे थे, और इसलिए, अभियुक्त व्यक्तियों की रिपोर्ट पर कोई अपराध पंजीकृत नहीं किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और साथ ही आक्षेपित निर्णय के साथ अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

17. हमने पहले ही पूर्ववर्ती परिच्छेदों (पैराग्राफों) में यह अभिनिर्धारित कर दिया है कि अभियोजन पक्ष ने मृतक के साथ-साथ अन्य घायल साक्षियों को चोट पहुँचाने में अपीलार्थियों की संलिप्तता को स्थापित कर दिया है। हमारे विचारण का प्रश्न यह है कि – क्या विचारण न्यायालय अपीलार्थियों को समुंद्रम की हत्या करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध करने में न्यायोचित था?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. यह सत्य है कि उसी घटना में, अभियुक्त व्यक्तियों को भी चोटें आईं और उन्हें चिकित्सा परीक्षण के लिए चिकित्सक (डॉक्टर) के पास भेजा गया और उसी दिन, डॉ. आर.एस. प्रभाकर ने उनकी जाँच की और उनकी चोट प्रतिवेदनों को सिद्ध किया। यह भी सत्य है कि आरोप पत्र में, अभियुक्त व्यक्तियों की चिकित्सा-विधिक चोट प्रतिवेदन संलग्न नहीं की

गई हैं और अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों के शरीर पर मौजूद चोटों को दबाया है।

19. कृपाराम की चोट प्रतिवेदन प्रदर्श-डी/9 है, जिसके अनुसार डॉ. प्रभाकर ने उसके पार्श्विका क्षेत्र पर 5 सेमी **x** 4 सेमी आकार का एक असंताप पाया, दाहिनी अग्रबाहु तरफ 3 सेमी **x** 2 सेमी आकार का एक असंताप पाया। चोटों को प्रकृति में साधारण बताया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

फिरतराम की चोट प्रतिवेदन प्रदर्श-डी/10 है। उसे बाईं भौं पर 3 सेमी **x** 2 सेमी का एक असंताप, बाईं कलाई पर 1/2 सेमी **x** 1/2 सेमी का एक खरोंच भी आई है और चोटें प्रकृति में साधारण हैं तथा कठोर व भोथरी वस्तु से लगी हैं।

अपीलार्थी चंद्रिका प्रसाद की चोट प्रतिवेदन प्रदर्श-डी/11 है। उसे पश्चकपाल क्षेत्र पर 2 सेमी **x** 2 सेमी का एक असंताप, बाईं अंसफलक पर 1/2 सेमी **x** 1/4 सेमी का एक खरोंच, बाईं अंसफलक क्षेत्र के ऊपरी भाग पर 8 सेमी **x** 2 सेमी का एक चोट का निशान, बाईं अग्रबाहु के ऊपरी पश्च क्षेत्र पर 3 सेमी **x** 2 सेमी का एक असंताप भी

आया है। सभी चोटों को प्रकृति में साधारण बताया गया है और ये कठोर व भोथरी वस्तु से लगी हैं।

लक्ष्मी प्रसाद की चोट प्रतिवेदन प्रदर्श-डी/12 है। उसे माथे पर दाहिनी आँख के ऊपर 1 सेमी **x** 1/2 सेमी का एक खरोंच, बाईं अग्रबाहु के मध्य पार्श्व क्षेत्र पर एक असंताप, दाहिनी कोहनी के पश्च पहलू पर 1/2 सेमी **x** 1/4 सेमी का एक खरोंच, जत्रुक के मध्य सिरे पर का एक खरोंच भी आया है। चोटों को प्रकृति में साधारण बताया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी मोहनलाल की भी डॉ. प्रभाकर द्वारा जाँच की गई और उसकी चोट प्रतिवेदन प्रदर्श-डी/13 है। उसे पार्श्विका क्षेत्र पर एक कटावदार घाव, ऊपरी पार्श्विका क्षेत्र पर 3 सेमी **x** 1/2 सेमी खोपड़ी की गहराई का एक असंताप, बाईं अग्रबाहु के मध्य पश्च क्षेत्र पर 4 सेमी **x** 3 सेमी का एक असंताप भी आया है। चोटों को प्रकृति में साधारण बताया गया है। मोहनलाल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जांजगीर में उपचार के लिए भी भेजा गया था, जहाँ से उसे बी.डी.एम. चिकित्सालय, चांपा में भेजा गया था, जहाँ उसकी जाँच 30 जनवरी, 2001 को की गई थी और चिकित्सक ने उसे अग्रबाहु के एक्स-रे की सलाह दी थी। अक्स-रे पर, डॉ. एच.एस. चंदेल ने मध्य अग्रबाहु की अस्थिभंग पाया।

20. पूरनलाल राठौर (अ.सा-14) के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवादास्पद भूमि अपीलार्थी संतोष के नाम पर दर्ज थी। अभियोजन साक्षी-2 रामआधार के साक्ष्य से, साथ ही अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि विवादास्पद भूमि अपीलार्थी संतोष के नाम पर अभिलेखित थी और अभियोजन साक्षी-8 तुलाराम ने भी यह स्वीकार किया है कि घटना के समय, अपीलार्थियों ने विवादास्पद भूमि पर बाड़ी (छोटी चारदीवारी) उगाई थी और फरियादी पक्ष ने संतोष और उसके पिता कीर्तन के विरुद्ध विवादास्पद भूमि के संबंध में एक वाद संस्थित किया था। अपीलार्थियों ने यह विशिष्ट प्रतिरक्षा ली है कि घटना की सुबह फरियादी पक्ष मिट्टी की मेड़ को तोड़ रहा था, जब अपीलार्थी उसी मिट्टी को अपने खेत में उतारने के लिए ले गए, और उसी में घटना हुई और झगड़ा हुआ, जिसमें अभियुक्त व्यक्तियों को भी चोटें आईं। उपरोक्त प्रतिरक्षा को अभियोजन साक्षी-7 भागवत के प्रदर्श-डी/7 के रोज़नामचा कथन से समर्थन मिलता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. अन्वेषण अधिकारी नकुल सिंह (अ.सा-15) के साक्ष्य के अवलोकन से, हम पाते हैं कि उसने बाड़ी के स्वामित्व के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की,

जिसके कारण झगड़ा शुरू हुआ। इस प्रकार, आरोप पत्र में उपलब्ध साक्ष्य और उपरोक्त साक्षियों के कथनों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि पाँच अभियुक्त व्यक्तियों को उनके शरीर पर चोटें आईं और उनमें से एक को अग्रबाहु की अस्थिभंग हुआ। आरोप पत्र में, उपरोक्त तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही मोहन के विकिरण विशेषज्ञ प्रतिवेदन सहित अभियुक्त व्यक्तियों की चिकित्सा-विधिक चोट प्रतिवेदन दाखिल की गई हैं। फरियादी पक्ष और घायल साक्षियों ने अभियुक्त व्यक्तियों के शरीर पर मौजूद चोटों की व्याख्या नहीं की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. लक्ष्मी सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में, जो ए.आई.आर. 1976 उच्चतम न्यायालय 2263 में प्रकाशित है, न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को लगी चोटों की व्याख्या न किए जाने पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया है:

> "हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या के एक मामले में, घटना के समय या हाथापाई के दौरान अभियुक्त को लगी चोटों की व्याख्या न करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिस्थिति है, जिससे न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकता है:

(1) कि अभियोजन पक्ष ने घटना के जन्म और मूल को दबाया है और इस प्रकार सत्य कथन प्रस्तुत नहीं किया है;

(2) कि जिन साक्षियों ने अभियुक्त के शरीर पर चोटों की उपस्थिति से इनकार किया है, वे एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य पर झूठ बोल रहे हैं और इसलिए उनका साक्ष्य अविश्वसनीय है;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) कि यदि कोई प्रतिरक्षा कथन है जो अभियुक्त के शरीर पर लगी चोटों की व्याख्या करता है, तो यह संभाव्य हो जाता है ताकि अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह डाला जा सके। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के शरीर पर लगी चोटों की व्याख्या करने में हुई चूक का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब साक्ष्य हितबद्ध या विरोधी साक्षियों का हो, या जहाँ प्रतिरक्षा एक ऐसा कथन प्रस्तुत करती है जो संभाव्यता में अभियोजन पक्ष के कथन से प्रतिस्पर्धा करता हो।"

23. मोहिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य के मामले में दिए गए हाल के निर्णय में, जो 2006 (10) उच्चतम न्यायालय वाद 618 में प्रतिवेदित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के शरीर पर मौजूद चोटों की व्याख्या न किए जाने के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिरक्षा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यदि अधिकतम रूप से केवल अभियुक्त को लगी मामूली चोटों को दर्शाता है, तो यह अभियोजन के मामले को हटा नहीं पाएगा, जो विश्वसनीय साक्षी के साक्ष्य से, जिसे चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थन प्राप्त है, पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। हालांकि, उक्त निर्णय के परिच्छेद-9 में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसी अ-व्याख्या का महत्व तब और बढ़ सकता है जब साक्ष्य हितबद्ध या विरोधी साक्षियों का हो, या जहाँ प्रतिरक्षा एक ऐसा कथन प्रस्तुत करती है जो संभाव्यता में अभियोजन पक्ष के कथन से प्रतिस्पर्धा करता हो। परन्तु, जहाँ साक्ष्य स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय है और जहाँ न्यायालय सत्य को असत्य से अलग कर सकता है, वहाँ केवल इस तथ्य के आधार पर कि चोटों की व्याख्या अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं की गई है, वह अपने आप में ऐसे साक्ष्य को और परिणामस्वरूप संपूर्ण मामले को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. बिश्ना उर्फ भिश्वदेव महतो और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में, जो जे.टी. 2005 (9) एस सी सी 290 में प्रकाशित हुआ है, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:

"इस न्यायालय ने, हालांकि, बड़ी संख्या में मामलों में, यह कानून निर्धारित किया है कि एक व्यक्ति, जिसे मृत्यु या शारीरिक चोट की आशंका है, वह उस क्षण की प्रेरणा और परिस्थितियों के आवेश में, हमलावरों को, जो हथियारों से लैस थे, निहत्था करने के लिए आवश्यक चोटों की संख्या को स्वर्ण तुला में नहीं तौल सकता। उत्तेजना और विचलित संतुलन के क्षणों में, पक्षों से यह अपेक्षा करना अक्सर कठिन होता है कि वे संयम बनाए रखें और खतरे की आशंका के अनुपात में ही ठीक उतना बल प्रतिशोध में उपयोग करें, जहाँ बल के उपयोग द्वारा हमला आसन्न हो। सभी परिस्थितियों को व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और किसी भी अति-तकनीकी दृष्टिकोण से बचा जाना चाहिए।

इसे सीधे शब्दों में कहें, यदि बचाव सिद्ध हो जाता है, तो अभियुक्त बरी होने का हकदार है और यदि ऐसा नहीं होता है तो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसे हत्या के लिए दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन अत्यधिक बल के उपयोग के मामले में, उसे धारा 304 भारतीय दण्ड विधान के तहत दोषी ठहराया जाएगा।"

25. वर्तमान प्रकरण में, हमने पहले ही अवलोकन किया है कि अपीलार्थी संतोष विवादास्पद बाड़ी का अभिलेखित स्वामी है। अभियोजन पक्ष ने आरोप पत्र में अपीलार्थियों के शरीरों पर मौजूद चोटों को दबाया है। विचारण के दौरान भी, घायल अभियोजन साक्षियों ने उसी घटना में अपीलार्थियों को लगी चोटों की व्याख्या नहीं की है और इस प्रकार, अपराध का मूल और जन्म दबाया गया है। इन परिस्थितियों में, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन साक्षियों ने अभियुक्तों के शरीर पर चोटों की व्याख्या नहीं की है, वे अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों पर झूठ बोल रहे हैं और इसलिए, अभियुक्तों के शरीरों पर लगी चोटों की व्याख्या करने वाला प्रतिरक्षा कथन संभाव्य हो जाता है और अभियोजन के मामले पर संदेह पैदा करता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने इस अवलोकन के साथ अपीलार्थी के बचाव को खारिज

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कर दिया है कि फरियादी पक्ष द्वारा मिट्टी उतारने से रोके जाने पर पहली बार झगड़ा अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा शुरू किया गया था।

तथापि, अभिलेख पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य पर विचार करते हुए और साथ ही मृतक तथा छह घायल साक्षियों की चोटों पर विचार करते हुए और आगे अपीलार्थियों के शरीर पर चोटों की अ-व्याख्या पर विचार करते हुए, हमारा मत है कि अपीलार्थियों की यह प्रतिरक्षा कि हमला उनके द्वारा आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किया गया था क्योंकि उन पर फरियादी पक्ष ने आक्रमण किया था, संभाव्य हो सकती है। तथापि, प्रतिरक्षा यह दर्शित करने में सक्षम नहीं रही है कि अपीलार्थी को खतरा ऐसी प्रकृति का था कि उन्हें मृतक और छह घायल साक्षियों पर प्रहार करना पड़ा, जिससे उन्हें ऐसी चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप समुंद्रम की मृत्यु हुई और इस प्रकार, उन्होंने अपने आत्मरक्षा के अधिकार की सीमा का अतिक्रमण कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, हमारा यह सुविचारित मत है कि अपीलार्थी भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 304-भाग 1 के तहत दंडनीय अपराध के दोषी हैं, न कि आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत।

27. परिणामस्वरूप, अपीलें आंशिक रूप से सफल होती हैं। आई.पी.सी. की धारा 302/149 के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और उसके तहत अधिरोपित दण्डादेश को इसके द्वारा अपास्त किया जाता है। उन्हें उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। इसके स्थान पर, उनमें से प्रत्येक को आई.पी.सी. की धारा 304-भाग 1 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है और 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है। तथापि, आई.पी.सी. की धारा 324 सहपठित धारा 149 (तीन गणनाओं पर), धारा 326 सहपठित धारा 149 (दो गणनाओं पर) और धारा 323 सहपठित धारा 149 के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और उसके तहत अधिरोपित दण्डादेश को यथावत रखा जाता है। अपीलार्थी अपने ऊपर अधिरोपित दण्डादेश के विरुद्ध उस अवधि के लिए मुजरा प्राप्त करने के हकदार होंगे जो वे पहले ही भोग चुके हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभिलेख के अवलोकन से, यह प्रतीत होता है कि जानकी प्रसाद को छोड़कर, सभी अपीलार्थी पहले ही अपने ऊपर अधिरोपित कारावास को भोग चुके हैं। इसलिए, यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो तो उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाए।

तथापि, जानकी प्रसाद दिनांक 19.9.2008 से ज़मानत पर हैं और उन्होंने अपने ऊपर अधिरोपित कारावास को पूरा नहीं किया है, इसलिए, उनके ज़मानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और उन्हें शेष दण्डादेश को भोगने के लिए तत्काल अभिरक्षा में लिया जाए।

सही/- **सही/-**

धीरेन्द्र मिश्रा **आर.एन.चंद्राकर**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: PURUSHOTTAM DWIVEDI